"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 1] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 4 जनवरी 2008— पौष 14, शक 1929

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 19 दिसम्बर 2007

क्रमांक ई-7/16/2007/1/2.—श्री एन. बैजेन्द्र कुमार, भा. प्र. से., सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जन सम्पर्क विभाग को दिनांक 27-12-2007 से 05-01-2008 तक (10 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 06-01-2008 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री कुमार आगामी आदेश तक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जन सम्पर्क विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2008.

3. अवकाश काल में श्री कुमार को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कुमार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 22 दिसम्बर 2007

क्रमांक ई-7/12/2007/1 /2.—इस विभाग का समसंख्यक आदेश दिनांक 19-11-2007 द्वारा श्री एलेक्स व्ही एफ पाल मेनन व्ही, भा. प्र. से., सहायक कलेक्टर, रायपुर को दिनांक 26-10-2007 से 31-10-2007 तक (06 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था. इसी अनुक्रम में श्री एलेक्स व्ही एफ पाल मेनन व्ही को दिनांक 01-11-2007 से 08-11-2007 तक (08 दिवस) का और अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 09, 10 एवं 11 नवम्बर, 2007 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. शेष शर्तें यथावत् रहेंगी.

रायपुर, दिनांक 22 दिसम्बर 2007

क्रमांक ई-7/15/2004/1 /2.—श्री सरजियस मिंज, भाप्रसे., कृषि उत्पादन आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, छ. ग. शासन, कृषि एवं वन विभाग को दिनांक 24-12-2007 से 02-1-2008 तक (10 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 23-12-2007 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री मिंज आगामी आदेश तक कृषि उत्पादन आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, छ. ग. शासन, कृषि एवं वन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री मिंज को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मिंज अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 22 दिसम्बर 2007

क्रमांक ई-7/46/2004/1 /2.—श्री जी. एस. मिश्रा, भा. प्र. से. कलेक्टर, बस्तर को दिनांक 24-12-2007 को एक दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 23 एवं 25 दिसम्बर, 2007 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री मिश्रा आगामी आदेश तक कलेक्टर जिला-बस्तर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री मिश्रा को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मिश्रा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री मिश्रा के उक्त अवकाश अवधि में श्री आर. प्रसन्ना, भा. प्र. से. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बस्तर अपने वर्तमान कार्य के साथ-साथ कलेक्टर, जिला-बस्तर का चालू कार्य सम्पादित करेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, उप-सचिव.

विधि एवं विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 दिसम्बर 2007

संशोधन आदेश

फा. क्र. 10493/डी-4450/21-ब/छ. ग./2007.—इस विभाग द्वारा जारी आदेश फा. क्र. 10293/4450/21-ब/छ. ग./07 दिनांक 06-12-07 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

"उक्त आदेश के पृष्ठ संख्या 2 के पैरा तीन के पंक्ति तीन में उल्लेखित 006-अभिभाषकों के शुल्क के स्थान पर 008-शासकीय अभिभाषकों को फीस पढ़ा जावें."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. पाठक, उप-सचिव.

परिवहन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 दिसम्बर 2007

क्रमांक 3293/परि. वि./2007—भारत शासन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना क्रमांक का/आ/1080 (ई), दिनांक 30 नवम्बर, 2000 के अनुसरण में राज्य सरकार, एतद्द्वारा नीचे दी गई सारणी के कालम (1) में विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को पंजीयन चिन्ह के उप्रयोग के लिए उसके सम्मुख कालम (2) में की गई तत्संबंधी प्रविष्टि कोड नम्बर आवंटित करता है :-

सारणी

स. क्र.	रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी	कोड नम्बर
1.	बीजापुर	सीजी-20
2.	नारायणपुर	सीजी-21

Raipur, the 13th December 2007

No. 3293/Tr. Deptt/2007.— In pursuance of Government of India, Ministry of Road Transport and High-way " Notification" No. S. O. 1080 (E), Dated 30th November, 2000 The State Government hereby allots to the Registering Authority specified in column (1) of the table below, the code number specified in the corresponding entry in column (2) thereof for use in Registration mark :-

TABLE

S. No.	Registering Authority	Code No.
1.	Bijapur	CG-20
2.	Narayanpur	CG-21

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक जुनेजा, विशेष सचिव.

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 दिसम्बर 2007

क्रमांक 4174/1604/पंग्राविवि/22/2007.—श्री पी. सी. मिश्रा, आयुक्त, रोजगार गारंटी योजना, विकास आयुक्त कार्यालय, को दिनांक 19-12-2007 से 02-01-2008 तक 15 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. इनके अवकाश अवधि में इनका कार्य श्रीमती शालिनी रैना, संयुक्त संचालक, रोजगार गारंटी योजना संपादित करेंगी.

3. अवकाश से लौटने पर श्री पी. सी. मिश्रा को आयुक्त, रोजगार गारंटी योजना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

4. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

5. प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी. सी. मिश्रा अवकाश पर नहीं जाते तो आयुक्त, रोजगार गारंटी योजना के पद पर बने रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पारसनाथ राम, अवर सचिव.

खनिज साधन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 19 दिसम्बर 2007

क्रमांक एफ 7-121/2007/12.—खनिज अभिवहन पास विनियमन, 1996 के अनुदेश 3 (क) में अंकित प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में "अभिवहन पास पुस्तिका" के लिए पूर्व में विहित/प्रचलित दरों में संशोधन करते हुए राज्य शासन निम्नानुसार दरें निर्धारित करता है :-

1. 25 पृष्ठ की 2 प्रतियों में अभिवहन पास पुस्तिका - रु. 15.00
2. 50 पृष्ठ की 2 प्रतियों में अभिवहन पास पुस्तिका - रु. 25.00
3. 100 पृष्ठ की 2 प्रतियों में अभिवहन पास पुस्तिका - रु. 50.00

उपरोक्त दरें तत्काल प्रभाव से लागू होंगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. त्यागी, संयुक्त सचिव.

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 दिसम्बर 2007

क्रमांक एफ 6-66/2007/वाक/पांच.—राज्य शासन एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा मुख्य परीक्षा वर्ष-2005 तथा साक्षात्कार के परिणामस्वरूप वाणिज्यिक कर अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए मुख्य सूची में अनुशंसित निम्नांकित उम्मीदवार को उसके

द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, दो वर्ष की परिवीक्षा पर वाणिज्यिक कर अधिकारी के पद पर वेतनमान रुपये 8,000-275-13,500 में नियुक्त किया जाता है, तथा उनकी पदस्थापना अतिरिक्त वाणिज्यिक कर अधिकारी के रूप में उसके नाम के सम्मुख कॉलम-4 में दर्शाये जिले में की जाती है :-

स. क्र.	लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित सूची का सरल क्रमांक एवं चयनित वर्ग	अभ्यर्थी का नाम एवं वर्तमान डाक का पता	प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना का जिला अर्थात् जहां से वेतन आहरित होगा
1.	3. (अनारक्षित विकलांग)	श्री आशीष सिंह ठाकुर, आत्मज श्री प्रहलाद सिंह ठाकुर, राधिका निवास, दैहानपारा, पुराना सरकंडा, बिलासपुर (छ. ग.) पिनकोड - 495 001	कार्यालय, संभागीय उपायुक्त, वाणिज्यिक कर बिलासपुर.

2. उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकारी को जब छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, रायपुर में प्रशिक्षण हेतु बुलाया जाएगा, तब वे अपनी उपस्थिति जिले से प्रशासन अकादमी, रायपुर में देकर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे.

3. परिवीक्षाधीन अधिकारी को परिवीक्षा अवधि के दौरान विहित प्रशिक्षण, छ. ग. प्रशासन अकादमी, रायपुर में प्राप्त करना अनिवार्य होगा और प्रशिक्षण के पश्चात् अकादमी द्वारा ली जाने वाले परीक्षा में अनिवार्यत: सम्मिलित होकर परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा. प्रशासन अकादमी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में प्रथम बार में असफल होने पर अधिकारी को अकादमी के अगामी प्रशिक्षण में सम्मिलित होकर पुन: परीक्षा उत्तीर्ण करने के निर्देश दिए जा सकेंगे.

4. परिवीक्षाधीन अधिकारी को परिवीक्षावधि में उच्च मानकों द्वारा निर्धारित विभागीय परीक्षाएं भी उत्तीर्ण करनी होगी. नियुक्ति प्राधिकारी पर्याप्त कारणों से एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए परिवीक्षावधि को बढ़ा सकेगा. विहित विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण न करने पर अथवा सेवा के लिए अनुपयुक्त पाये जाने पर, नियुक्ति प्राधिकारी के विचार में यदि, उसका उपयुक्त शासकीय सेवक बनना संभव न होना पाया जाएगा तो उसकी सेवाएं परिवीक्षावधि के अंत में, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समाप्त की जा सकेगी.

5. शासकीय सेवा के दौरान उपरोक्त अधिकारी छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम; 1966 एवं छत्तीसगढ़ विक्रय कर सेवा 1 तथा 2 भरती नियम, 1966 के प्रावधानों के तहत शासित होंगे.

6. उपरोक्त अभ्यर्थी की नियुक्ति "मेडिकल बोर्ड" से चिकित्सीय योग्यता प्रमाण पत्र (मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट) प्राप्त करने की अपेक्षा में की जाती है. अत: अभ्यर्थी को जिला "मेडिकल बोर्ड" से उनका स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर "मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट" तत्काल विभाग में प्रस्तुत करना होगा. "मेडिकल बोर्ड" द्वारा अभ्यर्थी को अयोग्य पाये जाने की दशा में, अभ्यर्थी की सेवाएं तत्काल समाप्त कर दी जावेगी.

7. उपरोक्त अभ्यर्थी को में कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व, संभागीय उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, बिलासपुर के समक्ष जाति प्रमाण पत्र, मूल (स्थानीय) निवासी प्रमाण पत्र तथा शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा. अभ्यर्थी द्वारा आयोग को नियुक्ति के पूर्व दी गई कोई भी जानकारी/प्रमाण पत्र गलत पाये जाने पर उसे बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किया जा सकेगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की जा सकेगी.

8. परिवीक्षाधीन अधिकारी को कार्यभार ग्रहण करते समय उक्त कार्यालय में निर्धारित प्रारूप में इस आशय का एक "बॉण्ड" शासन के हित में निष्पादित करना आवश्यक होगा कि, उसके द्वारा परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण न कर पाने की दशा में, वह उसकी परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा उस पर खर्च की गई राशि जिसमें वेतन, भत्ते एवं यात्रा व्यय शामिल होगा, की वापसी के लिए उत्तरदायी रहेगा.

9. उक्त अभ्यर्थी की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा जारी की गई चयन सूची के अनुसार ही निर्धारित रहेगी.

10. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पद पर नियुक्ति के संबंध में आरक्षण संबंधी नियमों एवं आदेशों का पालन किया गया है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 दिसम्बर 2007

क्रमांक एफ 11-4/2002/11/6.—राज्य शासन एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ उद्योग (शेड, प्लाट एवं भूमि आवंटन) नियम 1974 यथा संशोधित में निम्नानुसार संशोधन करता है :-

अनुक्रमांक	नियम की कंडिका क्रमांक	संशोधन
1.	22 (i) (क) अभ्यावेदन (अपील)	वर्तमान प्रावधान "राज्य शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग", को विलोपित कर निम्नानुसार प्रावधान प्रतिस्थापित किया जाता है :- "मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक द्वारा पारित भू-निरस्तीकरण आदेश के विरुद्ध प्रथम अपील आयुक्त/संचालक उद्योग को एवं आयुक्त/संचालक उद्योग द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील राज्य शासन को की जा सकेगी."

2. शेष नियम यथावत् होंगे.

3. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. बेहार, विशेष सचिव.

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 नवम्बर 2007

क्रमांक एफ 6-9/खाद्य/29/07.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खंड (2) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए "छत्तीसगढ़ शासन के कार्य नियम" (Chhattisgarh Government rules of business) के नियम (13) के अधीन अनुपूरक अनुदेश भाग (5) के अनुदेश क्रमांक 2 "क" एक के अनुसार मुझमें निहित प्राधिकार के अनुसरण में, मैं (सत्यानंद राठिया) मंत्री, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, छत्तीसगढ़ एतद्द्वारा इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ 6-9/खाद्य/2007/29, दिनांक 29-08-2007, को निरस्त करता हूं, एवं निर्देश देता हूं कि समस्त अपील/पुनरीक्षण प्रकरण जो राज्य शासन के समक्ष लंबित है एवं तत्पश्चात् प्रस्तुत अपील/निगरानी प्रकरणों की सुनवाई एवं निराकरण मेरे द्वारा किया जाएगा.

हस्ता./-
(सत्यानन्द राठिया)
राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

पर्यटन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 दिसम्बर 2007

संकल्प

क्रमांक एफ 4-8/33/प. वि./2007.—राज्य शासन एतद्द्वारा संलग्न परिशिष्ट अनुसार "छत्तीसगढ़ पर्यटन प्रोत्साहन योजना-2006" घोषित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. राधाकृष्णन, प्रमुख सचिव.

छत्तीसगढ़ पर्यटन प्रोत्साहन योजना-2006

प्रस्तावना

आय और रोजगार उत्पन्न करने में पर्यटन, आर्थिक तंत्र से मजबूती से जुड़ा है और ऐसी अपेक्षा की जाती है कि यह छत्तीसगढ़ के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. पर्यटन के महत्व को देखते हुए छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए निर्दिष्ट प्रोत्साहन की योजना लागू करने का निर्णय लिया है. तद्नुसार छत्तीसगढ़ पर्यटन प्रोत्साहन योजना-2006 प्रस्तुत है.

1. **क्रियान्वयन अवधि** - यह योजना 01-04-2006 के भूतलक्षी प्रभाव से लागू होगी एवं 31-03-2016 तक प्रभावशील रहेगी अथवा जब तक कि नवीन प्रोत्साहन पैकेज से यह अधिक्रमित न की जाए.

2. **प्रोत्साहन की पात्रता**- अर्हता पूर्ण करने वाली नवीन इकाईयों एवं विद्यमान परियोजनाओं के विस्तारीकरण (क्षमता में न्यूनतम 50 प्रतिशत की वृद्धि अथवा कुल जमा पूंजी का 50 प्रतिशत पूंजी निवेश में वृद्धि) हेतु निर्दिष्ट प्रोत्साहन देय होगा.

निम्न इकाईयों को प्रोत्साहन की पात्रता होगी-

(1) होटल

(2) टूरिस्ट रिसोर्ट

(3) हेरिटेज होटल

(4) मोटल

(5) मार्ग सुविधाएं

(6) हेल्थ फार्म

(7) कला एवं शिल्प ग्राम

(8) मनोरंजन पार्क

(9) वाटर पार्क

(10) कैंपिंग एवं टेंट सुविधाएं

(11) साहसिक/मनोरंजन गतिविधियों के केन्द्र

(12) रोप वे

(13) गोल्फ कोर्स

(14) मल्टीप्लेक्स

(15) कन्वेंशन सेंटर

(16) अन्य कोई योजना जो पर्यटन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय-समय पर अधिसूचित/अनुमोदित किया जाये.

यह योजना राज्य के पुनर्गठन की तिथि से भूतलक्षी प्रभाव से प्रभावशील की जा सकती है. पर्यटन क्षेत्र के अधोसंरचना विकास में उपरोक्त पर्यटक सुविधा संबंधी परियोजनाओं को निजी निवेश के प्रोत्साहन हेतु परिशिष्ट 1 में विर्णित मापदण्डों का पालन करना अनिवार्य होगा.

नई इकाई के लिए रियायत की दरें इस तथ्य पर कम या अधिक हो सकती है, कि इकाई "सामान्य परिक्षेत्र" (रायपुर, धमतरी, महासमुंद, दुर्ग, राजनांदगांव, कबीरधाम, बिलासपुर, जांजगीर-चाम्पा, कोरबा एवं रायगढ़ जिलों) अथवा "अत्यधिक पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र" (नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, जगदलपुर, कांकेर, सरगुजा, कोरिया एवं जशपुर जिलों) में स्थित हैं.

3. **एकल खिड़की प्रणाली (Single Window System)** - नवीन पर्यटन योजनाओं के शीघ्र अनुमोदन एवं गतिरोध दूर करने के लिए वरिष्ठतम् अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी, जिसमें अन्य सदस्य निम्नानुसार होंगे :-

(1)	वरिष्ठतम् अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन	-	अध्यक्ष
(2)	प्रमुख सचिव/सचिव, पर्यटन, छत्तीसगढ़ शासन	-	सदस्य
(3)	प्रमुख सचिव/सचिव, परिवहन, छत्तीसगढ़ शासन	-	सदस्य
(4)	प्रमुख सचिव/सचिव, ऊर्जा, छत्तीसगढ़ शासन	-	सदस्य
(5)	प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त, छत्तीसगढ़ शासन	-	सदस्य
(6)	प्रमुख सचिव/सचिव, वाणिज्यिक कर, छत्तीसगढ़ शासन	-	सदस्य
(7)	प्रमुख सचिव/सचिव, राजस्व, छत्तीसगढ़ शासन	-	सदस्य
(8)	प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल	-	सदस्य-सचिव

इस प्रोत्साहन योजना के प्रचार-प्रसार उपरांत करों में छूट एवं अन्य प्रोत्साहन प्राप्त करने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल में विहित प्रारूप में आवेदन पत्रों को जमा किया जायेगा. छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल द्वारा आवेदनों का परीक्षण कर उच्च स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा. उच्च स्तरीय समिति द्वारा प्रकरणों पर विस्तार से विचार किया जायेगा तथा प्रकरणवार गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया जाएगा. छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल द्वारा उच्च स्तरीय समिति के निर्णय से आवेदक एवं संबंधित विभाग को अवगत कराया जायेगा. प्रोत्साहन योजनांतर्गत प्रदत्त छूटों के संबंध में छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल द्वारा प्रसारित उच्च समिति के निर्णय पर, यदि किसी विभाग द्वारा एक माह के भीतर आपत्ति दर्ज नहीं की जाती है तो उसे संबंधित विभाग की सहमति समझी जायेगी. जिन प्रकरणों में उच्च स्तरीय समिति द्वारा इकाई को करों में छूट देने का निर्णय लिया गया हो, उन प्रकरणों में करों में छूट संबंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल से प्रसारित किए जाएंगे, जिसके आधार पर संबंधित विभाग करों में छूट देने का आदेश प्रसारित करेंगे. उच्च स्तरीय समिति की बैठक सुविधा अनुसार प्रत्येक माह में कम से कम एक बार आयोजित की जायेगी.

4. **प्रोत्साहन**- इस योजना के अंतर्गत उपलब्ध प्रोत्साहन निम्नानुसार है :-

4.1 **करों एवं शुल्कों में कमी/छूट** - "सामान्य परिक्षेत्र" एवं "अत्यधिक पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र" में पर्यटन इकाईयों को करों एवं शुल्कों में निम्नानुसार कमी/छूट की पात्रता होगी.

	सामान्य परिक्षेत्र	**केवल अनुसूचित क्षेत्रों के लिए**
विलासिता कर	-	संचालन प्रारंभ होने की तिथि से 15 वर्षों तक 100 प्रतिशत छूट.
मनोरंजन कर	संचालन प्रारंभ होने की तिथि से 5 वर्षों तक 50 प्रतिशत छूट.	संचालन प्रारंभ होने की तिथि से 10 वर्षों तक 50 प्रतिशत छूट.
विद्युत शुल्क	-	संचालन प्रारंभ होने की तिथि से 10 वर्षों तक 100 प्रतिशत छूट.

स्टाम्प शुल्क	पर्यटन इकाईयों की स्थापना के लिए भूमि अथवा भवन के क्रय/लीज के निष्पादन विलेखों पर 10 वर्षों तक छूट.	पर्यटन इकाईयों की स्थापना के लिए भूमि अथवा भवन के क्रय/लीज के निष्पादन विलेखों पर 15 वर्षो तक छूट.
	ऋण तथा अग्रिम से संबंधित विलेखों के निष्पादन पर पंजीयन दिनांक से 3 वर्ष तक छूट.	ऋण तथा अग्रिम से संबंधित विलेखों के निष्पादन पर पंजीयन दिनांक से 3 वर्ष तक छूट.

4.2 **भू-प्रीमियम में छूट** - अत्यधिक पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में पूंजी निवेशकों को नवीन परियोजना हेतु भू-प्रीमियम में 50 प्रतिशत की छूट की पात्रता होगी.

4.3 **भूमि आवंटन** - अधिकांश पर्यटन परियोजनाओं में पूंजी निवेशकों को भूमि आवंटन के लिए विविध नियमों एवं प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है. अत: पर्यटन के क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु भूमि का सुलभ आवंटन सुनिश्चित करने के लिए निम्न व्यवस्था की जाएगी.

(क) **भूमि उपयोग परिवर्तन**- नवीन पर्यटन परियोजनाओं को भूमि उपयोग परिवर्तन शुल्क में अधिकतम 10 एकड़ भूमि के लिए पूर्ण छूट दी जाएगी. हेरीटेज होटल के लिए भूमि उपयोग परिवर्तन हेतु कोई शुल्क देय नहीं होगा.

(ख) **भूमि बैंक योजना** - इस योजना के अंतर्गत पर्यटन परियोजनाओं की स्थापना के लिए शासकीय भूमि/नजूल भूमि का चयन कर पर्यटन विभाग को हस्तांतरित किया जाएगा. इस प्रकार स्थानांतरित की गई भूमि को छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल द्वारा संचालित भूमि बैंक में शामिल किया जायेगा. इस भूमि बैंक में संग्रहित भूमि के उपयोग के लिए छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल द्वारा द्विस्तरीय-तकनीकी एवं वित्तीय खुली निविदाएं पर्यटन गतिविधियों हेतु आमंत्रित की जाएगी. तकनीकी निविदा में योग्य पाए गए निविदाकर्ताओं को वित्तीय निविदा के आधार पर भूमि लीज पर उपलब्ध करायी जाएगी. लीज की अधिकतम अवधि 33 वर्ष होगी. भूमि बैंक बनाने के लिए पर्यटन मण्डल के अधिकारी पर्यटन की दृष्टि से उपयोगी स्थलों के जिलों में दौरा करेंगे. कलेक्टर अथवा राजस्व विभाग के प्रतिनिधि इनके साथ भेजे जायेंगे, ताकि त्वरित्त गति से भूमि बैंक का निर्माण हो सके.

4.4 **भू-आवंटन सेवा शुल्क** - छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल द्वारा नवीन पर्यटन परियोजनाओं हेतु निजी भूमि के अर्जन/शासकीय भूमि के आवंटन के लिए निम्नानुसार सेवा शुल्क लिया जाएगा :-

(क) निजी भूमि के अर्जन हेतु जिला प्रशासन को देय भू-अर्जन मूल्य की 5 प्रतिशत राशि.

(ख) निजी/शासकीय भूमि के आवंटन पर छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल को देय भूमि के मूल्य की 10 प्रतिशत राशि.

4.5 **वाणिज्यिक कर (VAT)** - नवीन इकाईयों को व्यावसायिक चालन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्षों तक वाणिज्यिक कर (VAT) भारत सरकार द्वारा 'वेट (VAT)' के संबंध में गठित वित्त मंत्रियों की सशक्त समिति द्वारा निर्धारित न्यूनतम दरों पर (फ्लोर रेट) अधिरोपित किया जाएगा.

4.6 **अन्य रियायतें** - नई इकाईयों को अतिरिक्त रियायत उपलब्ध करायी जा सकती है जिसका विभिन्न परिस्थितियों में प्रकरणवार (Case to Case basis) निर्णय किया जा सकेगा.

5. **अनुदान का प्रावधान**

5.1 **पूंजीगत निवेश अनुदान**- पर्यटन स्थलों पर अधोसंरचना निर्माण के उद्देश्य से अनुसूचित क्षेत्रों में स्थापित की जाने वाली नवीन परियोजनाओं को पूंजीगत निवेश का 15 प्रतिशत निवेश अनुदान प्राप्त हो सकेगा जिसकी अधिकतम सीमा रु. 20.00 लाख होगी.

6. **स्थितियां** -

6:1 ऐसे निवेश कर्ता जिन्होने अपनी इकाईयों की स्थापना के लिए छत्तीसगढ़ पर्यटन नीति 2002 के अनुरूप दिनांक 01-04-2006 के पूर्व प्रभावी कदम उठाये हैं किंतु निर्धारित तिथि तक इकाई का चालन प्रारंभ नहीं कर पाए हों, उनके पास इस प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत दी जाने वाली छूट/रियायत के पैकेज का लाभ प्राप्त करने का विकल्प होगा.

6.2 ऐसे निवेश कर्ता जिन्होने राज्य की पर्यटन नीति की अधिसूचना दिनांक 14-06-2002 को राजपत्र में प्रकाशित होने के पश्चात् पर्यटन इकाईयां स्थापित करने एवं उक्त पर्यटन नीति के अंतर्गत दी गयी छूटों को प्राप्त करने हेतु विधिवत् आवेदन जमा किए हैं एवं दिनांक 01-04-2006 के पूर्व चालन प्रारंभ कर दिया है उन्हें पर्यटन प्रोत्साहन योजना 2006 के अंतर्गत कंडिका 5.1 एवं 5.2 द्वारा प्रदत्त छूटों का लाभ प्राप्त करने का विकल्प होगा.

6.3 जिन इकाईयों द्वारा उपभोक्ताओं से व्यावसायिक चालन की तिथि से कर वसूल कर राशि कोषालय में जमा करायी जा चुकी है वह राशि उन्हें वापस नहीं लौटाई जाएगी. जिन इकाईयों द्वारा उपभोक्ताओं से व्यावसायिक चालन की तिथि से कर वसूल कर लिया गया है किंतु राशि कोषालय में जमा नहीं करायी गयी है उनको ऐसी राशि कोषालय में जमा करानी होगी.

6.4 निर्दिष्ट प्रोत्साहन (छूट/रियायत) केवल उन पर्यटन इकाईयों को उपलब्ध होगा जो अपने व्यवसाय में अकुशल श्रमिकों को कम से कम 50 प्रतिशत रोजगार, कुशल श्रमिकों को कम से कम 25 प्रतिशत एवं प्रशासकीय पदों के प्रकरण में कम से कम एक तिहाई, राज्य के मूल निवासी लोगों को रोजगार प्रदान करेंगे.

6.5 भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को इस नीति के अंतर्गत निर्दिष्ट प्रोत्साहन (छूट/रियायत) की पात्रता होगी. यदि उक्त उपक्रमों द्वारा निजी निवेशकों के साथ संयुक्त रूप से (Joint Venture) से कोई परियोजना लायी जाती है तो निजी निवेशक को उसके द्वारा निवेश की जा रही राशि पर निर्दिष्ट प्रोत्साहन (छूट/रियायत) की पात्रता होगी, बशर्ते की निजी निवेशक का कुल पूंजी निवेश में 51 प्रतिशत अंश (Equity) हो.

6.6 ऐसी परियोजनाएं जिन्हें किसी भी रूप में राज्य अथवा केंद्र सरकार से अनुदान का लाभ मिल रहा हो उन्हें किसी भी प्रकार के पूंजीगत अथवा अन्य अनुदान प्राप्त करने की पात्रता इस योजना के अंतर्गत नहीं होगी.

7. **टूरिस्ट कोच एवं वाहनों पर कर/मासिक कर में छूट** - पर्यटक वाहनों के लिए वर्तमान में काफी ऊंची दरों से यात्री कर लिया जाता है इस कारण ये वाहनें अत्यधिक संख्या में नहीं चल पा रही हैं तथा पर्यटन सुविधाऍं नहीं बढ़ पा रही हैं. अत: टूरिस्ट कोच एवं वाहनों पर यात्री कर में छूट निम्नानुसार होगी.

(i) राज्य के बाहर से आने वाले पर्यटक वाहनों को, जिसकी क्षमता 35+1 से अधिक न हो, 03 दिवस, 06 दिवस एवं 30 दिवस नियमित संचालन 7 दिवस के स्लैब (Slab) के आधार पर सामान्य क्षेत्रों के लिए छत्तीसगढ़ शासन के परिवहन विभाग में प्रचलित दरों पर 50 प्रतिशत छूट एवं अनुसूचित क्षेत्रों के लिए 75 प्रतिशत की छूट दी जाएगी.

(ii) छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल द्वारा स्वयं के वाहन अथवा अनुबंधित वाहनों को पैकेज टूर के लिए उपयोग करने पर उस अवधि के लिए समय-समय पर प्रचलित यात्री कर/मासिक कर में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी.

(iii) छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा स्वीकृत अनुज्ञा पत्र के तहत् पर्यटक वाहनों को जिनकी क्षमता 35+1 से अधिक न हो, समय-समय पर प्रचलित दर में 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी.

उदाहरणार्थ वर्तमान में प्रचलित दरों में अधिरोपित किये जाने वाले कर का विवरण परिशिष्ट-2 में उल्लेखित है.

उपरोक्तानुसार करों से छूट प्राप्त करने के लिए निम्नानुसार अर्हताएं पूरी करनी होंगी-

(अ) अखिल भारतीय पर्यटक परमिट के धारक को किसी भी राज्य के पर्यटन विभाग से पंजीयन करना आवश्यक होगा.

(ब) छत्तीसगढ़ राज्य के पर्यटन स्थलों में भ्रमण करने पर पर्यटन विभाग के अधिकारियों द्वारा वाहन संचालन कितने दिवस किया गया है, इस बाबत् जारी किये गये प्रमाण-पत्र, पर्यटन वाहन के स्वामी अथवा उनके प्रतिनिधि द्वारा "कर अधिकारी" को प्रस्तुत करना होगा.

8. **वायुयान कंपनियों के लिए प्रोत्साहन**- यदि वायुयान कंपनियों द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर के गंतव्य स्थलों को जोड़ने हेतु वायुयान सेवा प्रारंभ की जाती है तो राज्य शासन द्वारा वायुयान की निर्धारित क्षमता पर न्यूनतम 80 प्रतिशत लोट फैक्टर (सीट क्षमता) की गारंटी दी जाएगी.

परिशिष्ट-I

छत्तीसगढ़ पर्यटन प्रोत्साहन योजना-2006 के अंतर्गत पर्यटन इकाईयों को करों एवं शुल्कों में कमी/छूट प्राप्त करने के लिए निम्न मापदण्डों का पालन करना होगा-

1. **होटल** - होटल परियोजनाएं जो भारत सरकार, पर्यटन विभाग द्वारा निर्धारित समय-समय पर लागू होटल के मार्गदर्शन के अनुसार 1 से 5 सितारा श्रेणी की सुविधाओं की अपेक्षा को पूर्ण करती हो और ऐसे होटल जिन्होंने उनसे सितारा श्रेणी का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो. इनमें आवास एवं खान-पान की सुविधा हो जिनमें न्यूनतम् 10 कमरों में 20 पूर्णरूपेण सुसज्जित बिस्तर हो तथा प्रत्येक कमरे में अटैच शौचालय एवं बाथरूम हो, इसके अतिरिक्त उनमें एक रेस्टोरेंट, स्वागत कक्ष तथा जन क्षेत्र एवं पार्किंग के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध हो. ऐसा होटल, हट्स/कॉटेज का समूह भी हो सकता है जिसमें 10 कमरों में न्यूनतम् 20 पूर्णतया सुसज्जित बिस्तर तथा उपरोक्त सुविधाओं के साथ अटैच बाथरूम हो.

2. **टूरिस्ट रिसोर्ट** - टूरिस्ट रिसोर्ट जिनमें न्यूनतम् 10 कमरे/कॉटेज, सेनेटरी युक्त शौचालय तथा बाथरूम, रेस्टोरेंट, स्वागत कक्ष, पार्किंग स्थल, दो दुकानें आदि हो तथा निम्न गतिविधियों/सुविधाओं में से न्यूनतम 4 सुविधाएं हो.

- हेल्थ क्लब
- स्वीमिंग पूल
- इनडोर गेम्स
- चिल्ड्रन पार्क
- लाउन्ज
- कान्फेरेंस हॉल

हिल स्टेशन अथवा ऐसा स्थल जहां वातानुकूलन की आवश्यकता नहीं है वहां कम से कम 35 प्रतिशत कमरे वातानुकूलित होने चाहिए.

3. **हेरिटेज होटल** - हेरिटेज होटल एक महल, एक हवेली, किसी भवन का एक दरबार गृह होना चाहिए जो 1950 या उससे पहले की पारंपरिक शैली में बने हों. उसका बाहरी भाग का शिल्प विन्यास तथा सामान्य निर्माण उच्च कोटि का व्यापक तथा साज-सज्जा युक्त पारंपरिक जीवन शैली पर आधारित होना चाहिए. इसमें कम से कम किराये पर देने लायक 5 कमरे होने चाहिए. उसमें भारत सरकार, पर्यटन विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित मापदण्ड के अनुसार सुविधाएं एवं अन्य सेवाएं होनी चाहिए.

4. **मोटल** - मोटल राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यीय राजमार्ग अथवा मुख्य जिला सड़क पर अथवा इनसे 3 किलोमीटर की परिधि में अथवा 2 किलोमीटर से कम दूरी पर हो. इनमें कम से कम 10 कक्ष किराये पर देने योग्य हो एवं सभी कक्षों (शत-प्रतिशत) में अटैच बाथरूम की सुविधा हो. कक्षों में पर्याप्त फर्नीचर, फिक्सचर एव चादरें आदि हो. भूमि एवं उसके उपयोग का मालिकाना हक/पट्टा आदि यथोचित रूप से हो.

5. **मार्ग सुविधाएं** - मार्ग सुविधाएं राष्ट्रीय, राज्यीय एवं जिलों के मुख्य मार्गों पर स्थित हो एवं जन सामान्य की सुविधा के लिए फास्ट फूड उपलब्ध कराती हों. राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यीय राजमार्ग एवं प्रमुख जिला सड़कों पर अथवा इन सड़कों से कुछ ही दूरी पर स्थित मार्ग सुविधाएं सामान्य सुविधाओं के केंद्र होंगे. इनमें आवश्यक रूप से (अ) फूड प्लाजा (ब) जनसुविधा (स) सामान्य/स्वास्थ्य सुविधाएं (द) दूर संचार की व्यवस्था हो.

6. **हेल्थ फार्म्स** - हेल्थ फार्म उन क्षेत्रों में स्थित हों जो शोरगुल एवं प्रदूषण से मुक्त हों एवं सामान्यत: स्वच्छ तथा स्वास्थ्यवर्धक वातावरण में हो. यह कम से कम 5000 वर्गफीट के प्लाट पर हो. यहां कम से कम 20 उपयोगी कक्ष बाथरूम सहित हों, इसमें कम से कम निम्न 6 सुविधाएं हो-

1. हेल्थ क्लब
2. जिम्नेजियम
3. योगा/ध्यान केंद्र

4. आउटडोर व्यायाम क्षेत्र

5. इनडोर गेम्स

6. आउटडोर गेम्स

7. स्वीमिंग पूल

8. जॉगिंग ट्रैक्स

9. घुड़सवारी

इसके साथ ही इसमें फल, सब्जियां एवं हर्ब्स उगाने हेतु कम से कम 500 वर्गमीटर माप का फार्म हो. इसमें चिकित्सा, स्वास्थ्य विशेषज्ञ, आहार विशेषज्ञ एवं इसी प्रकार का पूर्णकालिक न्यूनतम दो लोगों का स्टाफ हो.

7. **कला एवं शिल्प ग्राम -** इन परियोजनाओं में राज्य की संपन्न विरासत, कला, लोकनृत्य, हस्तशिल्प, जीवन शैली एवं संस्कृति की एक झलक हो. यह कम से कम 5 एकड़ भूमि पर निर्मित हो जहां कम से कम 10 कारीगरों के कार्य करने एवं विभिन्न शिल्पों के प्रदर्शन हेतु स्थान एवं प्रदर्शनी के लिए कम से कम 1000 वर्गफीट क्षेत्र उपलब्ध हो. संस्कृतियों के प्रदर्शन, कलाओं एवं फिल्म स्क्रीनिंग इत्यादि के लिए एक बहुउद्देशीय हॉल हो. एक रेस्टोरेंट एवं प्रसाधन ब्लॉक सुविधा भी उपलब्ध होना चाहिए.

8. **मनोरंजन पार्क -** मनोरंजन पार्क खुले क्षेत्र में हों (न्यूनतम 2000 वर्गमीटर तक) जो सभी वर्गों के लोगों के मनोरंजन की सुविधाओं के उद्देश्य से विकसित किया गया हो. इसमें नियमों के तहत स्वीकृत मनोरंजन गतिविधियां, मैजिक शो, विज्ञान कथाओं के शो के साथ कम से कम 8 मनोरंजन सुविधाओं के साथ होनी चाहिए. मनोरंजन पार्क में रेस्टोरेंट, प्रसाधन, दूरसंचार सुविधाएं, प्राथमिक सहायता केंद्र एवं समुचित पार्किंग व्यवस्था इत्यादि होनी चाहिए.

9. **वाटर पार्क -** वाटर पार्क कम से कम 5 एकड़ भूमि पर बना हो एवं इसमें न्यूनतम 5 वाटर स्लाईड्स हों. इसमें एक ही समय में कम से कम 100 स्लाईडर्स को हैण्डल कर सकने की क्षमता हो. इसमें सुरक्षा नियमों को लागू करने हेतु दक्ष निरीक्षक हों. इसमें चेंजिंग रूम, लॉकर्स, शावर एवं आवश्यक जन सुविधाएं समुचित रूप से हो.

10. **कैम्पिंग एवं टेंट सुविधाएं-** कैम्पिंग एवं टेंट सुविधाएं कम से कम 1000 वर्गमीटर के क्षेत्र में हो. इसमें कम से कम 20 लोगों के ठहरने की व्यवस्था हो जिसमें कम से कम 10 प्रसाधन युक्त टेंट हों. टेंट का कुल कारपेट क्षेत्र 100-200 वर्गमीटर हो. खान-पान, मनोरंजन, आराम करने एवं लॉकर्स के लिए सुविधाएं हो. इसमें विद्युत, जल निकासी एवं मल निकास की समुचित सुविधा हो.

11. **साहसिक/मनोरंजन गतिविधियों के केंद्र-** साहसिक/मनोरंजन गतिविधियों के केंद्र के अंतर्गत रॉक क्लाईम्बिंग, पैरासेलिंग, हैड ग्लाईडिंग, हॉट एयर बलूनिंग, राफ्टिंग, कयाकिंग, योटिंग, वाटर स्कीईंग, एंग्लिंग, गोल्फिंग एवं अन्य साहसिक गतिविधियां शामिल हों तथा प्रशिक्षण का भी अवसर प्राप्त हो. केन्द्र में संपूर्ण तकनींकी उपकरण, दक्ष निर्देशक एवं इसके द्वारा प्रस्तावित गतिविधियों के लिए व्यवस्था हो. ये केंद्र इन क्रियाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों एवं नियामकों के अंतर्गत संचालित होता हो तथा कम से कम 20 लोगों के लिए उसमें आवास एवं खान-पान की सुविधा उपलब्ध हो.

12. **रोप वे-** रोपवे, यांत्रिकी, मोटर चालित रोपवे हो. इसकी क्षैतिज लंबाई 500 मीटर तक हो किंतु स्थल की आवश्यकतानुसार यह कम भी हो सकती है. यह यात्रियों के लिए सुविधाजनक एवं शांतिपरक हो. इसमें कम से कम चार यात्री प्रति केबिन बैठने की क्षमता हो. रोपवे एक्ट के प्रावधानों के तहत समस्त सुविधाएं हों.

13. **गोल्फ कोर्स -** गोल्फ कोर्स परियोजनाओं में कम से कम 9 होल हो. भूमि का क्षेत्र 10 हेक्टेयर से कम न हो. स्थल की डिजाईन एवं निकास व्यवस्था इस प्रकार हो कि कोई जल संग्रहण (वाटर लॉगिंग) न हो. जल आपूर्ति के लिए उत्तम समुचित व्यवस्था हो. इसमें एक संतुष्टी पूर्ण क्लब हाउस हो. यह उन पर्यटकों के लिए अतिरिक्त सुविधा दे जो गोल्फ खेलने वाले सदस्य न हों एवं इसके लिए शुल्क में निश्चितता एवं पारदर्शिता हो. कम से कम 25 वाहनों के लिए समुचित पार्किंग एवं जन प्रसाधन भी उपलब्ध हो.

14. **मल्टीप्लेक्स-** मल्टीप्लेक्स में कम से कम 3 स्क्रीन हों जिसकी क्षमता 1000 लोगों के बैठने के साथ अन्य सुविधाएं जैसे रेस्टोरेंट, जन सुविधा

की व्यवस्था हो. सिनेमा हॉल जिनका मल्टीप्लेक्स फार्म में परिवर्तन किया गया हो उन्हें प्रोत्साहन की पात्रता होगी.

15. **कन्वेंशन सेंटर-** कन्वेंशन सेंटर कम से कम 5000 वर्गमीटर माप के प्लाट पर स्थित हो. इसमें कम से कम 500 लोगों के बैठने की क्षमता हो जिसमें कम से कम 75 प्रतिशत बैठक व्यवस्था वातानुकूलित हो. इसकी क्षमता इस प्रकार हो कि एक ही समय में कम से कम 3 अलग-अलग आयोजन अथवा सभाएं सम्पन्न की जा सकें. कॉनफ्रेंस/कन्वेंशन इकाईयों में समुचित ध्वनि व्यवस्था हो साथ ही वे आवश्यक आधुनिक उपकरणों से युक्त हों जैसे स्लाईड प्रोजेक्शन, वीडियो स्क्रीनिंग एवं अन्य सुविधाएं. कन्वेंशन सेंटर के परिसर में वाहनों की पार्किंग के लिए समुचित व्यवस्था हो इसके साथ ही रेस्टोरेंट, कैफेटेरिया एवं आवश्यक जन सुविधाओं एवं दूरसंचार सुविधाएं भी उपलब्ध हों.

16. **अन्य परियोजनाएं-** अन्य परियोजनाएं जो उक्त श्रेणियों में नहीं आती हों छत्तीसगढ़ पर्यटन विभाग द्वारा अनुमोदन के आधार पर स्वीकृत की जा सकेगी.

परिशिष्ट-II

(अ) अन्य राज्यों से छत्तीसगढ़ राज्य में अस्थाई तौर पर आने वाले पर्यटक वाहन (बैठक क्षमता 35+1) को यात्री कर/मोटर यान कर में छूट के संबंध में विवरण :-

क्र.	सामान्य यात्री कर/मोटर यान कर		पर्यटन प्रोत्साहन योजना के तहत्	
	मासिक कर की प्रचलित दर		सामान्य क्षेत्र में देय राशि (50% छूट)	अत्यधिक पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में देय राशि (75% छूट)
1.	आकस्मिक तौर पर तीन दिवसों के लिए	रु. 12,600.00	रु. 6,300.00	रु. 3,150.00
2.	आकस्मिक तौर पर छः दिवसों तक के लिए	रु. 25,200.00	रु. 12,600.00	रु. 6,300.00
3.	सात दिवसों तक के लिए नियमित संचालन मानकर एक माह का कर.	रु. 31,500.00	रु. 15,750.00	रु. 7,875.00

(ब) छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा स्वीकृत अनुज्ञा पत्र के तहत् मासिक यात्री कर/मोटर यान कर (वाहन की बैठक क्षमता 35+1) में छूट के संबंध में विवरण :-

मासिक कर	पर्यटन प्रोत्साहन योजना के तहत	
मासिक कर की प्रचलित दर (नियमित संचालन के अंतर्गत)	सामान्य क्षेत्रों में देय राशि (25% छूट)	अत्यधिक पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में देय राशि (25% छूट).
रु. 28,000.00	रु. 21,000.00	रु. 21,000.00

Chhattisgarh Tourism

Incentive Scheme-2006

1. **Preface -**

From the point of view of income and employment generation. tourism is intrinsically and strongly and essential component of economic development. It is expected that tourism will play an important role in the economic development of Chhattisgarh. Underlying the importance of tourism, the Chhattisgarh Government has decided to introduce directed incentives for enhancing and widening the tourism activities in the State. Accordingly, Chhattisgarh Tourism Incentive Scheme-2006 is presented here.

2. **Duration of the Scheme-**

This scheme will have retrospective effect from 01-04-2006 and will be in force till 31-03-2016 or until it is superseded by a new package of tourism incentives.

3. **Eligibility for Incentives -**

The directed incentives will be due for the new units which fulfil the eligibility criteria and for the extension of the existing projects (minimum 50% increase in the capacity or 50% increase in the capital investment of total capital) Following units will be eligible for incentives :-

1. Hotels
2. Tourist Resorts.
3. Heritage Hotels.
4. Motels.
5. Wayside Amenities.
6. Health Farms.
7. Art and Crafts Farms.
8. Entertainment Parks.
9. Water Parks.
10. Camping and Tent Facilities.
11. Centre for Adventure/Sports activities.
12. Ropeways.
13. Golf Courses.
14. Multiplexes
15. Convention Centres.
16. Any other scheme which is approved by the tourism department of the Government of Chhattisgarh.

This scheme can be made effective with retrospective effect from the date of formation of the State. In order to encourage private investment in the infrastructure development of the above mentioned tourism related projects, the prospective entrepreneurs will have to follow the criteria described in Appendix-I.

For providing directed incentives, the districts of the State have been divided in the following categories-

(i) General Area- All districts except those mentioned in clause (ii) below.

(ii) Most backward scheduled tribe dominant areas- Areas comprising Narayanpur, Kanker, Bijapur, Jagdalpur, Dantewara, Korea, Surguja and Jaspur Districts.

4. **Single Window System-**

For quick approval of new tourism projects and for removing the obstacles coming in the way, a high level committee will be constituted under the chairmanship of the seniormost Additional Chief Secretary, whose other members will be as follows :-

1. Senior most Additional Chief Secretary, Chhattisgarh Government - Chairman
2. Principal Secretary/Secretary, Tourism, Chhattisgarh Government - Member
3. Principal Secretary/Secretary, Transport, Chhattisgarh Government - Member
4. Principal Secretary/Secretary, Energy, Chhattisgarh Government - Member
5. Principal Secretary/Secretary, Finance, Chhattisgarh Government - Member
6. Principal Secretary/Secretary, Commercial Taxes, Chhattisgarh Government - Member
7. Principal Secretary/Secretary, Revenue, Chhattisgarh Government - Member
8. Managing Director, Chhattisgarh Tourism Board - Member-Secretary

After publicity and extension of this incentive scheme, for obtaining tax concessions & other incentives, applications in the prescribed format can be obtained from the Chhattisgarh Tourism Board. After preliminary scrutiny of these applications, the same will be placed before the high level committee. The High Level Committee will consider the cases in detail and the decision will be taken on a case by case basis on its merits and demerits. Chhattisgarh Tourism Board will inform the applicant and the concerned department about the decision of the High Level Committee. In case there is no objection raised by any department regarding the decision taken by the High Level Committee in respect of tax concessions under the incentive scheme as intimated by the Chhattisgarh Tourism Board within one month, then it will be presumed to be the consent of the concerning department. In those cases where high level committee have decided to give concession in taxes to any unit, a "No Objection Certificate" (NOC) to that effect will be issued by the Chhattisgarh Tourism Board, on the basis of which the concerned department will pass the order for providing concession in taxes. Mettings of the High Level Committee will be held at least once in a month as per convenience.

5. **Incentives available under this scheme are as follows :-**

5.1 Exemptions/Concessions in duties & taxes - Tourism units will be eligible for the following exemptions concessions in duties and taxes in "General Areas" and "Most backward scheduled tribe ominant areas".

	General Area	Most Backward S. T. Dominat Areas
Luxury Tax		100% Exemption for a period of 15 years from the date of commencement of operations.
Entertainment Tax	50% Exemption for period of 5 years from the date of commencement of operations.	50% Exemption for a period of 10 years from the date of commencement of operations.
Electricity Duty	-	Total exemption for a period of 10 years from the date of commencement of operations.

Stamp Duty	1. Exemption from payment of stamp duty for a period of 10 years on the deeds executed for purchase/lease of land or buildings for setting up Tourism Units.	1. Exemption from payment of stamp duty for a period of 15 years on the deeds executed for purchase/lease of land or buildings for setting of Tourism Units.
	2. Exemption from payment of stamp duty on execution of deeds relating to loans and advances to be taken by the tourism unit upto a period of 3 years from the date of registration of the unit.	2. Exemption from payment of stamp duty on execution of deeds relating to loans and advances to be taken by the tourism unit upto a period of 3 years from the date of registration of the unit.

5.2 **Exemption in the premium of land-**

50% Exemption in land premium will be given to investors (of capital) for new tourism projects in the most backward scheduled tribe dominant areas.

5.3 **Land Allocation-**

In majority of the tourism projects, the capital investors have to go through miscellaneous rules and procedures for land allocation. Therefore, in order to attract private investment in the field of tourism, the following arrangement will be made to ensure easy allocation of land.

A. **Land use Diversion-**

New Tourism Project will be given full exemption from payment of land revenue on diverted land upto a maximum of 10 acres. In respect of land diverted for Heritage Hotel, no land diversion fee will be payable.

B. **Land Bank Scheme-**

Under the scheme, for setting-up tourism projects Government/Nazul land will be identified and transferred to tourism department. The land thus transferred will be included in the land bank operated by the Chhattisgarh Tourism Board. In order two utilize the land, included in the land bank the "Chhattisgarh Tourism Board" will invite two- stage technical and financial tenders for Tourism releated activities. The bidders who are found eligible in the technical bid, will be allotted land on lease on the basis of financial bid. The maximum period of this lease will be 33 years. In order to-gather land for the land bank, the officials of the tourism department would undertake tours to the districts where there are destination of great tourism importance. Collector or representatives of the Revenue Department will join them so that the task of establishing the land bank is accelerated.

5.4 **Service Charges for Allotment of Land-**

For acquiring private land/allotment of Government land to new Tourism Projects, the service charges payable to the Chhattisgarh Tourism Board will be as follows :-

A. For acquisition of private land, 5% of the amount of land acquisition award payable to the district administration.

B. For allotment of the acquired private land/government land, 10% amount of the land price payable to Chhattisgarh Tourism Board.

5.5 **Commercial Tax/VAT**

Commercial Tax (VAT) at the prescribed lowest rates (Floor Rates) arrived at the conclave of the empowered committee of the Finance Ministers constituted by the Government of India in relation to VAT, will be imposed on new units for a period of 10 years from the date of commencement of commercial operations.

5.6 **Miscellaneous Concessions-**

New tourism units may be provided with additional concessions which will be decided on a case to case basis looking to the various situations.

6.0 **Provision of Subsidy-**

6.1 **Capital Investment Subsidy-**

For the purposes of infrastructural development at tourist spots, new tourism projects that will be established in scheduled areas can get 15% of the capital invested as subsidy subject to a maximum limit of Rs. 20.00 lakh for each unit.

7. **Situations-**

Directed incentives provided in this scheme will be available to the following projects-

7.1 The investors, who had taken effective steps for setting up their units, prior to 1-4-2006 according to the Chhattisgarh Tourism Policy 2002 but have not been able to commence the operation of the unit till the appointed date, i. e. 01-04-2006 will have the option to avail of the benefit of the package of exemptions/concessions provided for in this Tourism Incentive Scheme.

7.2 The investors, who, after the notification of the Chhattisgarh Tourism Policy in the gazette on the 14th of June 2002, have legally applied for establishing tourism units and for receiving the incentives stipulated in the said Tourism Policy and have started operations before 01-04-2006 will have the option of availing of the incentives provided for in para 5.1 and 5.2 of the instant Tourism Incentive Scheme 2006.

7.3 Those Tourism units which, have collected the taxes from the consumers from the date of commencement of commercial operation and deposited the same in the State Treasury will not be entitled for refund of the tax such deposited. Similarly those Tourism Units which, have collected tax from consumers from the date of commencement of commercial operations but have not deposited the tax thus collected in the State Treasury will have to deposit the tax thus collected in the Treasury Promptly.

7.4 Directed incentives (exemptions/concessions) will be available only to those tourism units which employ, in the case of unskilled labour at least 50 percent, in the case of skilled workers at least 25 percent and in the case of administrative posts at least 1/3rd persons domiciled in the State of Chhattisgarh.

7.5 Public Sector Undertakings of the Government of India or any State Government will be intitled for directed incentives (exemptions/concessions) under this policy.

In case any public sector undertaking by joint venture with private investors, establishes tourism projects, then the private investor will he entitled for directed incentive (exemptions/concessions) for the amout being invested by him provided that the private investor must own at least 51% equity in the total capital investment.

7.6 Such Tourism Projects which are receiving the benefit of subsidy in any from the State or Central Government will not be entitled to avail of any capital or other subsidy under this incentive scheme.

8. **Exemption/Concession in Passenger Tax/Motor Vehicle Tax on Tourist Coaches and Vehicles-**

At present, the passengers tax/motor vehicle tax charged for tourism vehicles is very much on the higher side resulting in only lesser number of tourist vehicles/coaches plying/operating ; consequently, tourism facilities are not increasing.

Therefore, it has been decided to offer the following exemptions/concessions on tourist vehicles and coaches.

(i). Tourist coaches/ vehicles, which enter the State of Chhattisgarh from other States, and whose seating capacity is not more than 35+1 will be given and exemption of 50% in passenger/ motor vehicle tax for general areas and an exemption of 75% ibid for the most backward scheduled tribe dominant areas on the rates prevalent in the Transport Department of the State Government of Chhattisgarh on the basis of slabs of 3 days, 6 days and 30 days (regular operation for 7 days).

(ii) In the event of the Chhattisgarh Tourism Board operating their own vehicle or leased vehicles for packaged tours, then and exemption of 50% on passenger tax/motor vehicle tax will be given at the rates prevalent from time to time and prescribed by the State Transport Department.

(iii) Tourist coaches/vehicles registered in the State of Chhattisgarh, whose seating capacity is not more than 35+1 will be given and exemption of 25 percent in the monthly/motor vehicle tax prevalent from time to time based on the permit issued by theTransport Department of the Chhattisgarh Government.

An illustration of the passenger/motor vehicle tax exemption/concession based on the current rate of passenger/motor vehilce tax in respect of all the above categories is given in Appendix-2.

To avail of the above-mentioned exemptions/concessions in passenger/motor vehicle taxes, the following eligiblity criteria must be fulfilled.

(a) All India Tourist Permit Holder must get his vehicle registered with the tourism department of any of the States (of India).

(b) After undertaking tour to the various tourism places of the State, the certificates issued by the authorized official (s) of the Tourism Department of the State Government as to the number of days operated, must be shown to taxation official of the Transport Department of Chhattisgarh by the owner of the vehicle or his authorized representative.

9. Incentives for Airline Companies-

In the event of any Airline company introducing aero-plane services connecting the destinations within the State, then the State Government shall give guarantee for a minimumn of 80 percent load factor of the prescribed capacity of the aero-plane.

Appendix-I

The Tourism units which seek exemptions/ concessions in taxes and duties under the Chhattisgarh Tourism Incentive Scheme-2006 have to fulfill the following criteria-

1. Hotel-

Hotel Projects, which, according to the guidelines issued by the Tourism Ministry of the Government of India from time to time, meet the expectation of the facilities of single star to 5 star hotel category and such hotels having certificate of star category from the Ministry of Tourism Government of India should have the facilities of-

(i) Accommodation and catering.

(ii) Minimum 10 rooms in which there are fully equipped 20 beds with attached toilet and bathroom in each of the rooms.

(iii) At least one restaurant, one reception chamber and enough space for public area and parking.

A Hotel can be a conglomeration of huts/cottages which have minimum 20 well quipped beds with attached bathroom and toilet facilities and all the other facilities mentioned above for a normal Hotel.

2. Tourist Resorts-

Tourism Resorts which have minimum 10 rooms/ cottages, sanitary toilet facilities, bathroom, restaurant, reception chamber, parking area, two shops etc. and should have a minimum of four facilities out of the following-

- Health Club
- Swimming Pool
- Indoor Games
- Children Park
- Lounge
- Conference Hall.

In respect of those resorts located at Hill Station or such places where air-conditioning is not required, a minimum of 35 percent of the total number of rooms should have the facility of air-conditioning.

3. **Heritage Hotel-**

Heritage Hotel should have a palace, a castle, a royal court Hall of any building which must have been made in the traditional style of 1950 or prior to that, Sculpture and general construction of its outer portion should be of high quality, extensive and should be based upon the traditional life style with full furnishing. It should have at least 5 rooms which are fit for renting out. These rooms should have the facilities and other services as per the criteria laid down by the Tourism Ministry of the Government of India.

4. **Motel-**

Motel should be situated on National Highways, State Highway or District Major Roads or within a circle of three K. M. circumference or at a distance of not more than 2 K. Ms. It should have at least 10 rooms that are suitable for renting out and all the rooms (100 percent) should have the facility of attacehd bathrooms. Rooms should have adequate facilities of furnitures, fixtures and bed-sheets. Ownership right/lease of that land and of its use should be in valid documents.

5. **Way-side Amenities-**

Way side amenities should be situated on National, State Highways or Districts Major-Roads and for the convenience of the general public should have the facility of fast food joints. Wayside amenities located on National Highways, State High ways or District Major Road or at some distance from these roads will be the centre for common facilities. There should be necessarily facilities for (a) Food Plaza (b) Public Amenities (c) Common/Health Facilities (d) Telecommunication.

6. **Health Farms-**

Health Farms should be situated in such areas which are free from noise and pollution and the atmosphere there should be generally clean, Healthy and congenial. It should be situated on a plot of at least 5000 sq. feet. It should have at least 20 rooms in usable conditions with bathroom facilities. The Health Farm should have 6 of the following facilities-

a. Health Club

b. Gymnasium

c. Yoga/ Meditation Centre

d. Outdoor Exercise Area

e. Indoor Games

f. Outdoor Games

g. Swimming Pool.

h. Jogging Track

i Horse Riding.

In addition to the above, it should have a farm of at least 500 square metre area for cultivating fruits, vegetables and herbs. A full time minimum staff of two persons which include a medicine & health expert, nutrition expert and such other should be deployed.

7. **Art and Craft Village-**

These projects should reflect the rich heritage, art, folkdance and culture of the State. This should be developed in an area of at least 5 acres wherein there is sufficient space for at least 10 artisans to work and availability of at least 1000 sq. feet area for the exhibition of the various arts and crafts, screening of films, display of arts etc. it should have also the facility of one restaurant and toilet block.

8. **Entertainment Park-**

Entertainment Park should be in and open space (at least 2000 square metre) and should have been developed with the purpose of the facility of entertainment for all classes of people. This should, alongwith the entertainment activities accepted under the rules, have at least 8 entertainment facilities like Magic Show etc. There should be proper arangements and facilities for restaurant, toilet, telecommunication, primary aid centre and suitable parking in Entertainment Park.

9. **Water Park-**

Water Park should have been established in an area of 5 acres and should have a minimum of 5 water slides. It should have the capacity of handling at least 100 sliders at a time. In order to ensure that safety rules are strictly complied with, skilled/expert/safety instructor should be posted there. Water Park should have "Changing Rooms" "Lockers" "Shower" and Esential Public Facilities adequately.

10. **Camping and Tent Facilities-**

Camping and Tent Facilities should be situated in an area of at least 1000 square metres. It should have the arrangement of accomodating 20 people and have at least 10 tents with toilet facilities.

The total carpet area of the tent should be in the range of 100 to 200 sq. metre. It should have the facilities for catering, entertainment, for taking rest and the facility of lockers. It should have proper arrangement for electricity, drainage, sewerage etc.

11. **Centre for Adventure/Sports Activities-**

The Centre for 'Adventurous/Sports Activities' should include rock climbing, parasailing, hand gliding, hot air ballooning, rafting, Kayaking, Yachting, Water Skiing, Angling, Golfing and other adventurous activities and should provide opportunities for training in these activities. This Centre should have the entire technical apparatus, expert/safety director and arrangements for all the proposed activities. It should be ensured that these centres conduct the above mentioned activities by following the international safety standards and regulations ; it should have the facility for accommodating and catering at least 20 persons at any point of time.

12. **Ropeway-**

Ropeway should be mechanical and motor-driven. Its length should be 500 metres horizontally. But this can be reduced depending upon the requirement of the place. It should be comfortable and calm for the travelers. It should have the capacity for at atleast 4 tourists in each cabin. It should have all the facilities stipulated and prescribed under the Ropeway Act.

13. **Golf Course-**

Each Golf Course Project should contain at least 9 holes. The area of the land should not be less than 10 hectares. Design of the place and outlet should be in such a way that there is no possibility of any water logging. There should be adequate and proper arrangement for regular water supply. It should have a saturated club house. This should give additional facility to play golf to those tourists who are not members of the golf course but are interested in playing golf by, fixing the fee in a certain and transparent manner. The golf course should have proper facilities for parking at least 25 vehicles and should have common toilet facilities.

14. **Multiplex**

A Multiplex should cotain at least 3 screens with a total capacity of 1000 seats with other side amenities like restaurants, toilets, Cinema halls which have been converted into multiplexes will be entitled for getting the incentives under this scheme.

15. **Convention Centre-**

Convention Centre should be situated on a plot of atleast 5000 square metre area and should have the seating.

capacity for at least 500 persons wherein 75 percent of the seating arrangements should have been air-conditioned. The capacity of the centre should be arranged in such a way that three different functions/conferences can be arranged and oraganized at a time. There should be proper sound arrangement along with essential modern equipments like slide projection. Video Screening and other facilities. There should be proper arrangements for parking of vehicles and the Centre should have facilities like cafeteria, essential public amenities and telecommunication.

16. **Other Projects-**

Other Projects which do not fall under any of the above mentioned categories can be sanctioned based on the approval from the tourism department of Chhattisgarh.

Appendix-II

(A) Details in respect of concession/exemption on passenger tax/motor vehicle tax for tourist vehicles which come to the State of Chhattisgarh from other States (Sitting capacity of vehicle 35+1).

No.	General Passenger Tax/ Motor Vehicle Tax		Passenger Tax/Motor Vehicle Tax Payable under Tourism Incentive Scheme, 2006	
	Present monthly tax in force		Tax due in general area (50% exemption)	Tax due in most backward S. T. dominant area (75% exemption)
1.	Temporarily for 3 days	Rs. 12,600.00	Rs. 6,300.00	Rs. 3,150.00
2.	Temporarily for 6 days	Rs. 25,200.00	Rs. 12,600.00	Rs. 6,300.00
3.	For one month (on the basis of 7 days operation)	Rs. 31,500.00	Rs. 15,750.00	Rs. 7,875.00

(B) Details in respect of concession/exemption on monthly tax for tourist vehicles of the State which are operating on the basis of permit issued by Chhattisgarh Transport Authorities (Capacity of vehicle-35+1).

No.	General Monthly Tax	Monthly Tax Payable under Tourism Incentive Scheme	
1.	Monthly Tax in force at present under regular operation.	Monthly tax due in general area (25% exemption)	Monthly tax due in most backward S. T. dominant area (25% exemption)
	Rs. 28,000.00	Rs. 21,000.00	Rs. 21,000.00

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 10 दिसम्बर 2007

क्रमांक 15/ अ. 82/06-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	नागचुवा	1.157	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा.	साल्हेडबरी जलाशय का नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 10 दिसम्बर 2007

क्रमांक 16/ अ. 82/06-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	धूमा (साल्हेडबरी)	3.480	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा.	साल्हेडबरी जलाशय का नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 10 दिसम्बर 2007

क्रमांक 30/ अ. 82/06-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	बरद्वार	0.040	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा.	घोंघा जलाशय का नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 10 दिसम्बर 2007

क्रमांक 1/ अ. 82/07-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	भरनी	0.081	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, पेण्ड्रा संभाग, पेण्ड्रारोड.	सड़क निर्माण के लिए

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 10 दिसम्बर 2007

क्रमांक 14/अ. 82/2006-2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	उस्लापुर	1.652	मुख्य अभियंता, निर्माण-1 द. पू. मं. रेल्वे, बिलासपुर.	रेल्वे लाईन एवं गुड शेड निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जाँजगीर-चाम्पा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जाँजगीर, दिनांक 10 दिसम्बर 2007

क्रमांक 242 /भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5(अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चाम्पा	डभरा	शंकरपाली	0.081	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 4, डभरा.	गिरगिरा ब्रा. माइ. क्र. 1 आर.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव बांगो परियोजना, सक्ती जिला जांजगीर-चांपा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जाँजगीर, दिनांक 10 दिसम्बर 2007

क्रमांक 241 /भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5(अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चाम्पा	डभरा	दर्री	0.186	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 4, डभरा.	गिरगिरा माइ. एवं 4 आर/1. आर ब्रा. माइ. 5. L ब्रा. माइ.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव बांगो परियोजना, सक्ती जिला जांजगीर-चांपा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 17 दिसम्बर 2007

क्रमांक 134/अ. वि. अ. /भू-अर्जन/01 अ/82/2007-2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	महासमुन्द	आमगांव प. ह. नं. 119/66	1.24	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुन्द (छ. ग.)	आमगांव जलाशय का बेस्ट वियर एवं नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 17 दिसम्बर 2007

क्रमांक 142/अ. वि. अ. /भू-अर्जन/03 अ/82/2007-2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	महासमुन्द	गौरखेड़ा प. ह. नं. 135	0.39	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग महासमुन्द (छ. ग.)	गौरखेड़ा जलाशय के वेस्ट वियर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. जायसवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 11 सितम्बर 2007

क्रमांक 8896/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5(अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	करतला	खुटाकुडा	3.18	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोरबा.	जलाशय प्रायोजन हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कोरबा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 11 सितम्बर 2007

क्रमांक 8899/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5(अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	करतला	नवापारा	3.00	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, कोरबा.	जलाशय प्रायोजन हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कोरबा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 12 दिसम्बर 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कोरबा	कुदमुरा	3.021	कार्यपालन यंत्री, लो. नि. विभाग, कोरबा.	कोरबा, हाटी धरमजयगढ़ मार्ग.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, कोरबा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 17 दिसम्बर 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कोरबा	चार गांव कछार तिलाईडांड, कोटियाघाट धनगांव.	0.87	कार्यपालन अभियंता सह सदस्य सचिव, क्रियान्वयन इकाई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, कोरबा.	अजगरबहार से कछार मार्ग पर निजी भूमि के अधिग्रहण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी कोरबा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 3 दिसम्बर 2007

क्रमांक 10433/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुईखदान	गातापार प.ह. नं. 23	23.33	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, छुईखदान.	गंजीगंजा जलाशय के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 3 दिसम्बर 2007

क्रमांक 10435/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुईखदान	दुल्लापुर प. ह. नं. 9	2.480	कार्यपालन यंत्री, सुतियापाट परियोजना संभाग, स. लोहारा, जिला-कबीरधाम.	कर्रानाला बैराज परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 3 दिसम्बर 2007

क्रमांक 10437/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	राजनांदगांव	महरूमकला प. ह. नं. 12	21.14	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन सम्भाग, राजनांदगांव.	हडुवा जलाशय के डुबान क्षेत्र हेतु अर्जन किया जाना है.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 20 दिसम्बर 2007

क्रमांक/क./वा./भू. अ./अ. वि. अ./प्र. क्र. 05/अ- 82 वर्ष 2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उक्त भूमि के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू होते है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	आरंग	छतौना प. ह. नं. 74/13	खसरा नं. (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथारिटी रायपुर.	लाजिस्टिक हब निर्माण हेतु.
			353	0.24		
			351	0.04		
			372/1	2.07		
			374	0.26		
			375	0.27		
			395	0.45		
			342	0.05		
			343	0.05		
			346	0.05		
			379	0.25		
			403	0.34		
			340/2	0.16		
			369	0.18		
			400	0.11		
			402	0.17		
			350	0.05		
			348	0.61		
			408	0.33		
			345	0.07		
			366	0.26		
			184	0.29		
			185	0.01		
			361	0.03		
			377	0.14		
			407	0.16		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			(1)	(2)		
			414/1	0.63		
			164	0.13		
			422	0.80		
			372/2	0.29		
			423	1.10		
			183	0.14		
			339	0.36		
			414/2	0.14		
			373	0.13		
			358	0.02		
			341	0.06		
			378	0.17		
			357	0.22		
			420	0.55		
			421	1.00		
			426	1.02		
			430	0.24		
			181	0.11		
			344	0.24		
			359	0.07		
			405	0.49		
			349	0.02		
			401	0.51		
			363	0.12		
			352	0.04		
			356	0.23		
			340/1	0.20		
			370/2	0.38		
			355	0.32		
			370/1	0.38		
			338	0.03		
			413/1	0.20		
			131	0.37		
			354	0.27		
			385	0.09		
			406	1.74		
			182	0.02		
			413/2	0.21		
			362	0.03		
			364	0.04		
			367	0.40		
		योग	66	20.15		

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकासशील, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 11 सितम्बर 2007

क्रमांक 8893/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-करतला
- (ग) नगर/ग्राम-बोकरदा प. ह. नं. 17
- (घ) लगभग क्षेत्रफल - 1.919 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
13/3	0.045
14/2	0.283
16/4	
17/1	
18/2	
18/5	
28/5	
5/5	0.121
14/6	
16/3	
5/7	0.223
18/8	
25/6	
28/9	
30/7	
36/4	
5/8	0.129
18/9	
22/7	
28/10	
30/8	
36/5	
27/1	0.340
28/1	
28/2	0.223
36/1	
25/4	0.069
26/1	
28/4	
40/1	
35/1	0.352
36/2	
1/4	0.134
33/3	
योग 10	1.919

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बोकरदा जलाशय योजना के बांध लाइन निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी कोरबा के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 28 नवम्बर 2007

क्रमांक 11767/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-कटघोरा
- (ग) नगर/ग्राम-जजगी, प. ह. नं. 5
- (घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.966 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
332/1	0.218
332/2	0.219

(1)	(2)
333/1	0.105
333/2	0.424
योग 4	0.966

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बांध निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कटघोरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 27th November 2007

No. 560/Confdl./2007/II-15-21/2000 (Pt.-IV). — Pursuant to the notification No. 9994/D-4291/21-B/C. G./2007 dated 27-11-2007 issued by the Government of Chhattisgarh, Law & Legislative Affairs Department, Raipur whereby the Court of Additional District Judge (Fast Track Court), Kawardha has been shifted to Rajnandgaon, Shri Anand Kumar Dhruv, XI Additional District & Sessions Judge (F. T. C.), Durg, who was earlier transferred and posted as Additional District & Sessions Judge (F. T. C.) Kawardha vide Registry Order No. 499/Confdl./2007/II-15-21/2000 (Pt.-IV) dated 13-11-2007, is hereby directed to join as Additional District and Sessioins Judge (Fast Track Court), Rajnandgaon by 28th of November 2007.

Shri Anand Kumar Dhruv, Ad-hoc Additional District & Sessions Judge is appointed as Additional Sessions Judge for the Sessions Division Rajnandgaon from the date he assumes charge of his office.

Bilaspur, the 29th November 2007

No. 201/I-7-3/2008 (Pt.-I).— The High Court of Chhattisgarh is pleased to declare that the following are the Vacations, Holidays of the High Court of Chhattisgarh for the Year 2008 :-

Summer Vacation - Monday 12th May to Friday 13th June, 2008

Winter Holidays - Monday 22nd December to Wednesday 31st December, 2008

S. No. (1)	Name of Holidays (2)	No. of Holidays (3)	Dates as per Gregorian Calendar (4)	Days of the week (5)
1.	New Year Day	1	01-01-2008	Tuesday
2.	Republic Day	1	26-01-2008	Saturday
3.	Mahashivratri	1	06-03-2008	Thursday
4.	Good Friday & Milad-Un-Nabi.	1	21-03-2008	Friday
5.	Holi	1	22-03-2008	Saturday

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6.	Ram Navami & Dr. Ambedkar Jayanti.	1	14-04-2008	Monday
7.	Mahavir Jayanti	1	18-04-2008	Friday
8.	Independence Day	1	15-08-2008	Friday
9.	Janmashtami	1	23-08-2008	Saturday
10.	Gandhi Jayanti & Id-ul-fitr	1	02-10-2008	Thursday
11.	Dushera Holidays	5	06-10-2008 to 10-10-2008	Monday to Friday
12.	Deepawali Holidays.	6	27-10-2008 to 01-11-2008	Monday to Saturday
13.	Gurunanak Jayanti	1	13-11-2008	Thursday
14.	Id-Ul-Zuha	1	09-12-2008	Tuesday
15.	Guru Ghasidas Jayanti	1	18-12-2008	Thursday
16.	Christmas	1	25-12-2008	Thursday

Notes:-

1. All the Sundays are declared holidays for the High Court and Registry including the Sundays falling during Summer Vacation.

2. The Saturdays falling on 12th January, 2008, 19th January, 2008, 9th February, 2008, 16th February, 2008, 08th March, 2008, 15th March, 2008, 12th April, 2008, 19th April, 2008, 10th May, 2008, 17th May, 2008, 14th June, 2008, 21st June, 2008, 12th July, 2008, 19th July, 2008, 9th August, 2008, 16th August, 2008, 13th September, 2008, 20th September, 2008, 11th October, 2008, 25th October, 2008, 8th November, 2008, 15th November, 2008, 13th December, 2008 and 20th December, 2008 shall be closed Saturdays for the High Court and Registry.

3. The Saturday falling on 5th January 2008 shall be a working day for the High Court and all remaining Saturdays, which are not declared holidays and which are not included in summer vacation, are declared non-working Saturday for the High Court but Registry shall be remain open on these Saturdays.

4. Moharram dated 19-01-2008 and Raksha Bandhan dated 16-08-2008 fall on closed Saturday therefore no Holiday is declared separately.

5. The High Court shall ramain closed from 12-05-2008 to 13-06-2008 on account of Summer Vacation and from 22-12-2008 to 31-12-2008 on account of Winter Holidays but the Registry shall remain open during Summer Vacation and Winter Holidays, except on Sunday and the Holidays.

6. Holidays declared on account of Id-Ul-Zuha, Moharram, Milad-Un-Nabi and Id-Ul-Fitr are subject to change depending upon the visibility of the Moon. If the State Government declares any change in these dates through TV/AIR/Newspaper, the same will be followed.

7. The officers and employees of the High Court Establishment shall be entitled to avail of three optional holidays in the year, out of the list of optional holidays as may be declared by the State Government for the year 2008.

Bilaspur, the 27th December 2007

No. 216/I-7-3/2008 (Pt.-II).— The High Court of Chhattisgarh is pleased to declare that the following are Holidays for the Courts subordinate to the High Court of Chhattisgarh for the Year 2008.

S. No.	Name of Holidays	No. of Holidays	Dates as per Gregorian Calendar	Days of the week
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	New Year Day	1	01-01-2008	Tuesday
2.	Republic Day	1	26-01-2008	Saturday
3.	Mahashivratri	1	06-03-2008	Thursday
4.	Good Friday & Milad-Un-Nabi.	1	21-03-2008	Friday
5.	Holi	1	22-03-2008	Saturday
6.	Ram Navami & Dr. Ambedkar Jayanti.	1	14-4-2008	Monday
7.	Mahavir Jayanti	1	18-04-2008	Friday
8.	Independence Day	1	15-08-2008	Friday
9.	Janmashtami	1	23-08-2008	Saturday
10.	Gandhi Jayanti & Id-ul-fitr	1	02-10-2008	Thursday
11.	Dushera Holidays	2	09-10-2008 to 10-10-2008	Thursday to Friday
12.	Deepawali Holidays	4	27-10-2008 to 30-10-2008	Monday to Thursday
13.	Gurunanak Jayanti	1	13-11-2008	Thursday
14.	Id-Ul-Zuha	1	09-12-2008	Tuesday
15.	Gurr Ghasidas Jayanti	1	18-12-2008	Thursday
16.	Christmas	1	25-12-2008	Thursday

NOTE :-

1. All the Sundays are declared holidays for the Subordinate Courts including the Sundays falling during Summer Vacation.

2. The Saturdays, falling on 12th January, 2008, 19th January, 2008, 9th February, 2008, 16th February, 2008, 08th March, 2008, 15th March, 2008, 12th April, 2008, 19th April, 2008, 10th May, 2008, 17th May, 2008, 14th June, 2008, 21st June, 2008, 12th July, 2008, 19th July, 2008, 9th August, 2008, 16th August, 2008, 13th September, 2008, 20th September, 2008, 11th October, 2008, 18th October, 2008, 8th November, 2008, 15th November, 2008, 13th December, 2008 and 20th December, 2008 shall be closed Saturdays for the Subordinate Courts.

3. Moharram dated 19-01-2008 and Raksha Bandhan dated 16-08-2008 fall on closed Saturday therefore no Holiday is declared separately.

4. The Judicial Officers of Subordinate Courts shall be entitled to avail of Summer Vacation for a maximum period of 15 days only during the perod of Summer Vacation from 12-05-2008 to 13-06-2008.

5. Holidays declared on account of Id-Ul-Zuha, Moharram, Milad-Un-Nabi and Id-Ul-Fitr are subject to change depending upon the visibility of the Moon. If the State Government declares any change in these dates through TV AIR/Newspaper, the same will be followed.

6. The officers and employees of Subordinate Courts shall be entitled to avail of three optional holidays in the year, out of the list of optional holidays as may be declared by the State Government for the year 2008.

7. The Subordinate Courts shall observe the local holidays as declare by the competent authority in repective Revenue Districts on account of local festivals of the District.

8. Subordinate Courts will observe the holidays declared suddenly by the State Government without approval of the High Court.

By order of the Hon'ble High Court,
HEERA SINGH MARKAM, Registrar General.